प्रेस विज्ञप्ति

12/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10/02/2024 को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान संचालित किया। यह कार्रवाई सूर्य नारायण रेड्डी, भरत रेड्डी और अन्य के विरुद्ध जांच का हिस्सा है।

ईडी ने कर्नाटक के बेल्लारी स्थित गांधी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी द्वारा की गई तलाशी कार्यवाही में आपत्तिजनक दस्तावेज, व्यावसायिक रिकॉर्ड और अचल और चल दोनों संपत्तियों के विवरण का एक नेटवर्क सामने आया। 31 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी के साथ महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए, जिससे अवैध भुगतान के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी जुटाने में भरत रेड्डी, उनके निजी सहायक रत्ना बाबू और अन्य की संलिप्तता उजागर हुई। आपत्तिजनक साक्ष्यों के अनुसार, भरत रेड्डी ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कुछ महीनों में लगभग 42 करोड़ रुपए नकद जुटाए, और धन का उपयोग गैरकानूनी लेनदेन के लिए किया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि शरत रेड्डी (भरत रेड्डी के भाई) ने विदेशी स्थित कंपनियों में अघोषित निवेश किया। यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने बेनामी नामों के तहत संपत्तियों में निवेश किया और रिश्तेदारों की जानकारी के बिना उनके बैंक खातों का उपयोग करके उनसे संदिग्ध ऋण प्राप्त किए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।